



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

Tel: 01303-2224570
Fax: 01303-2220647
Email Id: eeprms@kotdwara@gmail.com

पत्रांक 1190/
सेवा में,

दि० 16/01/2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि०मी०) हेतु 2.275 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/१५/२०१९/एफ०सी०/१५१७ दिनांक ०९.१०.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.275 है० सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 4.550 है० ग्राम - सीलाडांडा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	दिनांक 10.12.2019 को जमा करवा दी गयी है। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है। (प्रति संलग्न)
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित उच्च स्तर से किया जाना है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	दिनांक 10.12.2019 को जमा करवा दी गयी है। (प्रति संलग्न)
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	मान्य है। प्रपत्र संलग्न
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को बैंड पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	ऑन लाईन चालान जनरेट कर खाते में जमा करवा दिया गया है। परिवेश वेबसाइट से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति संलग्न।
6	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ समं हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
7	राज्य सरकार Geologist report एवं डी०एफ०ओ० द्वारा प्रमाणित संयुक्त निरीक्षण की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।	मान्य है।
विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों का अनुपालन		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिए बाध्य होगा।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु चयनित 4.550 है० ग्राम- सीलाडांडा सिविल एवं सोयम	मान्य है।

	भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आसोसी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	मान्य है।
7	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव - जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	मान्य है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 61 पेड़ों से अधिक न हो।	मान्य है।
10	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ समं हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी।	मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रमाणीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमित लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेड़ों के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करें। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्न:- 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
दि०.....

पत्रांक 1190/ वनभूमि
निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 1.- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
4. सहायक अभियन्ता - षष्ठम सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

154/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक पौडी 2, 2018
"आदेश"

तहसीलदार लेन्सडीन ने अपने पत्र संख्या: 242/र0का0-2018 दिनांक 05.05.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित मोटर मार्ग मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरबल्ला के नॉन जेड0ए0 खतीनी के वर्तमान खतीनी खाता सं0 7 के खसरा नं0 934 रकबा 8.043 है0 मध्ये 4.550 है0 श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई चारागाह, पनघट, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधापित किया गया है।

अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा के नव निर्माण के लिए तहसीलदार लेन्सडीन की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम सीला डांडा पट्टी लंगूरबल्ला के नॉन जेड0ए0 खतीनी के वर्तमान खतीनी खाता सं0 7 के खसरा नं0 934 रकबा 8.043 है0 मध्ये 4.550 है0 श्रेणी 9(3)ख झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लेन्सडीन तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 4- अधिशारी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिविल खण्ड, कोटद्वार।
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, लेन्सडीन।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

उद्धरण खसरा

ग्राम सीता झाड़ा पट्टी बोंगूर तहसील लैम्सडाउन , परगना सीता जिला पौड़ी गढ़वाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
934	8.034 प्रकाश	7	उत्तराखण्ड खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आर्य 8.034 प्रकाश			
	4.550																	4.550		

पु. वि. द. न. म. न. न.

प्रकाश

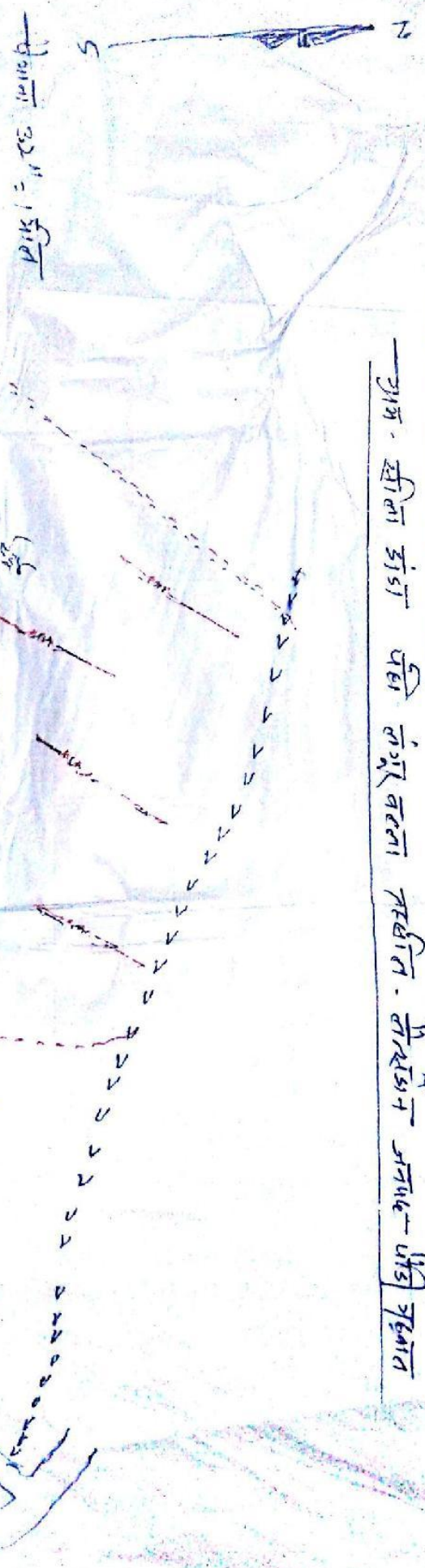
प्रकाश
(एन.एस. रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी न. म. न. न. न. न. न.
तहसील - लैम्सडाउन
जिला - पौड़ी गढ़वाल

चित्र 3 - प्रदर्शन से सीला डांस और जर्म के मन निर्धारित प्रत्यक्ष दृष्टा। दोपल हैस

— वायुमिति स्थिति के प्रभाव से ।

— प्रायः सीला डांस पक्षि लंगूर बलना गद्यति - लैरुडन अनपक पीडि गद्यति

नपल देवा



— सीला डांस 32" = 1 मीटर

— संकेत निम्न -

● — दृष्टा। दोपल देव चयनित स्थान को लाल चयनार्थ से दिखाया गया है।

11.11.11

11.11.11

— कुशलित क्रिया जाता है कि अक्षर से मूल नारा क्रिया जाता है।

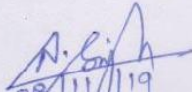
(द्वितीय रात्रि)
रात्रि उप निर्देशक
पदोन्नति - विवेकानंद
नारा - श्री गणेशाय नमः

NoNZA खतीनी उद्धार

ग्राम - सीलाडांडा पट्टी - लंगूर बल्ला - I शॉनिंगे - सिलौणी तहसील - लै-सडीन गढवाल

1	2	3	4	5	6	7	21 तक
	07	सीडी		934	8921113	रैतापूठ	तहसीलदार लै-सडीन के आदेश दि. 05.05.2018 एवं आयालय जिलाधिवारी गढवाल आदेश सं. 1814/20- प्रशाठ आधि. (सां. प्रशाठ)/2018, दि. पौडी जून 2, 2018 आदेश - लेनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वयं चेलना के अंतर्गत प्रस्तावित मीटर हाथ मस्टेडवाल के सीलाडांडा के नव निभानि हेतु उपजिलाधिवारी लै-सडीन की आदेशों एवं आदेशादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम - सीलाडांडा पट्टी - लंगूर बल्ला - I तहसील - लै-सडीन की नॉन लैड्डे के खतीनी खाला सं. 07 के रखसरा नम्बर 934 खाला 8.043 है मध्य 4.550 है कुल खाला 4.550 है ग्राम में 9(3) ख के उत्तराखण्ड सरकार के नाम खाडी दर्ज है। ग्राम की कृषिपूरवक वृक्षाधीण है वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामांतरण प्रिये लाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है हस्ताक्षर केशील कुमार जिला अधिवारी गढवाल
					8921113		

नवल असल से ली गयी है।


 नरेन्द्र सिंह
 राजस्व वृष निरीक्षक I/C
 पट्टी...
 तहसील...
 जिला - पौडी गढवाल

परियोजना का नाम: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण मे उपयुक्त सिविल राज्य भूमि का वन विभाग को हस्तानान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल शीलाडांडा मोटर मार्ग के (5.450 कि०मी०) मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.552 हे० ग्राम शीला डांडा, पट्टी लंगूर वल्ला-1, तहसील लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल की राज्य सिविल भूमि को विधिवत् रूप से वन विभाग को हस्तानान्तरित किया जायेगा। यह भूमि स्थल विशिष्ट है।

राजस्व उपनिरीक्षक
लंगूर वल्ला-1
REVENUE SUB INS
PATTI L.W.T. TEHSIL
GARHWAL

तहसीलदार
लैन्सडौन
हस्ताक्षर
लैन्सडौन

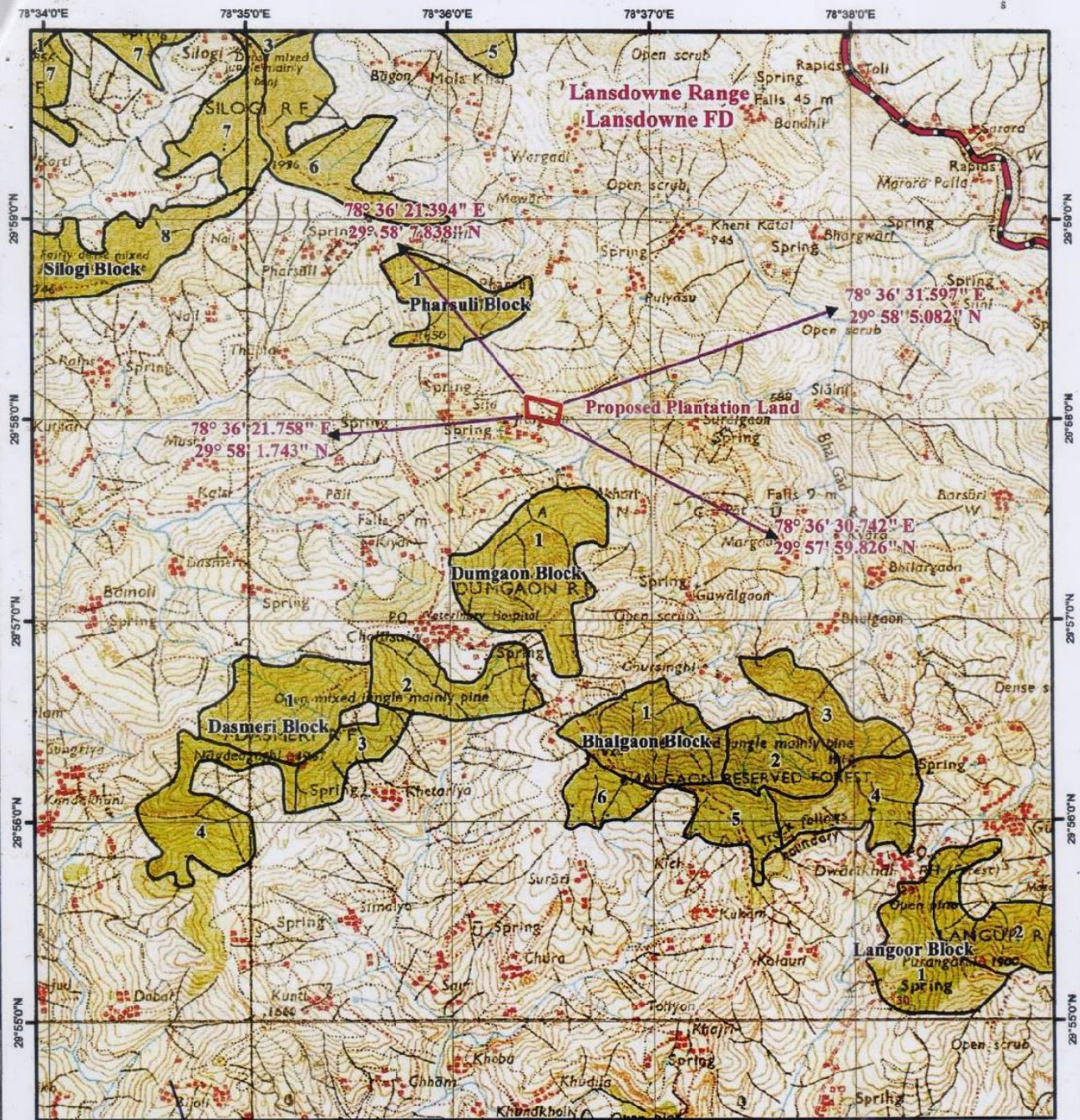
उपजिलाधिकारी
लैन्सडौन
र.स. डा. 114.
गढ़वाल (पौड़ी गढ़वाल)

जिलाधिकारी
(पौड़ी गढ़वाल)
हस्ताक्षर
गढ़वाल

डिजिटल मानचित्र - जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
मस्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग (लम्बाई 5.450 किमी०) के निर्माण हेतु प्रस्तावित
क्षतिपूरकवृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षेत्र- 4.550 है०

0 0.5 1 1.5 Km

$(2.275 \times 2) = 4.550 \frac{1}{8}$



Legend

- Proposed CA land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

(एन.एस. रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी...
तहसील-लैन्सडॉन
जिला-पौड़ी गढ़वाल
Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwar-Pauri Garhwal

उप प्रयागीय वनाधिकारी
मृमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडॉन (गढ़वाल)
कोटद्वार (गढ़वाल)

पौ.एम.जी.एस.वाई.सि.अ.ख.०
कोटद्वार (गढ़वाल)

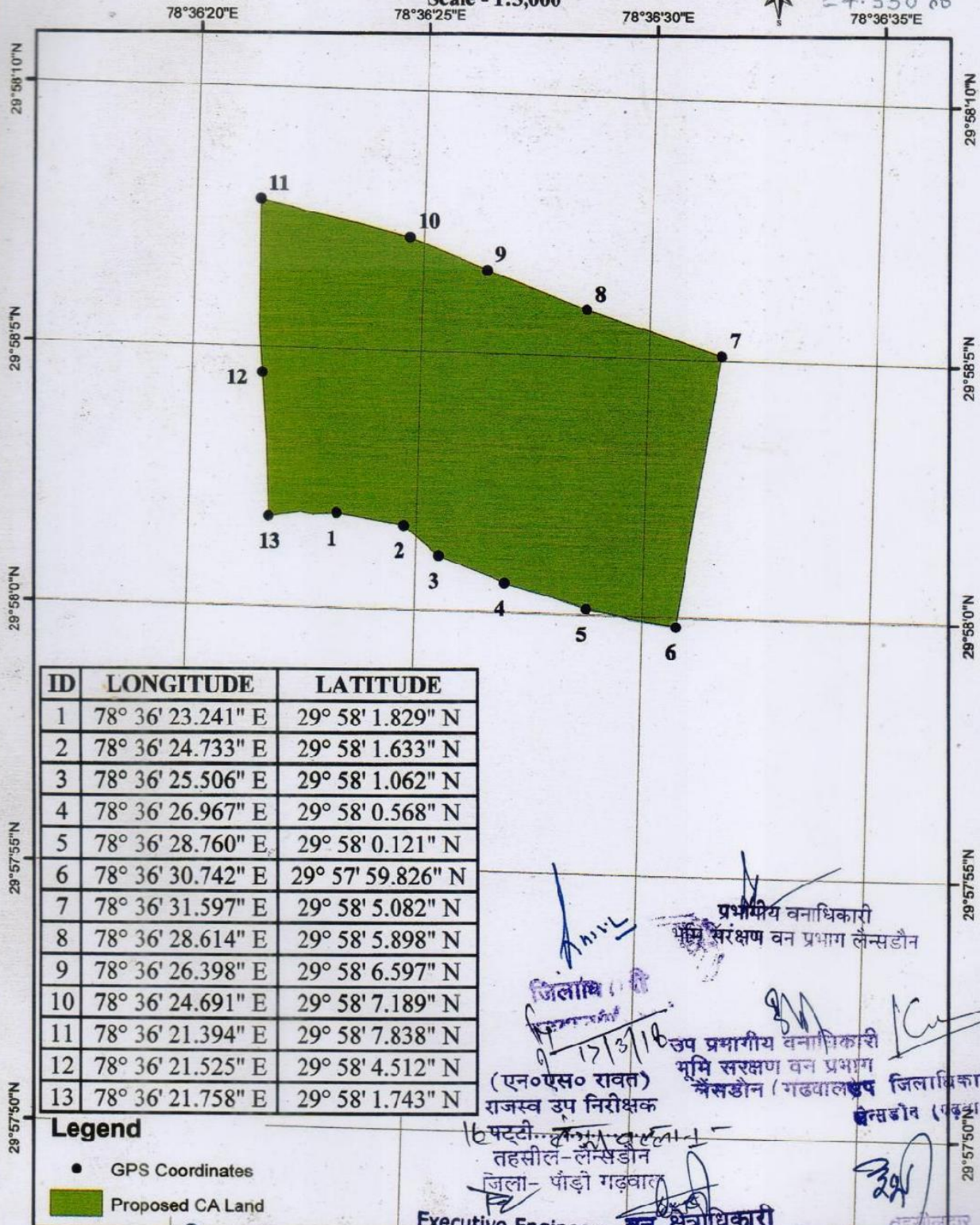
जियो रेफरेंस मैप जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मास्टखाल से शीला डाडा मोटर मार्ग के नव निर्माण (5.450 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल शीला डाडा सिविल सोयम क्षेत्र-4.550 है।

0 50 100 200 m

Scale - 1:3,000



(2.275 x 2) = 4.550



प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लेन्सडौन

जिलाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लेन्सडौन (गढ़वाल)

(एन०एस० रावत)
राजस्व उप निरीक्षक

16 फरवरी 2018
तहसील-लेन्सडौन
जिला- पौड़ी गढ़वाल

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

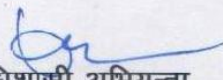
वन क्षेत्राधिकारी
तहसील-लेन्सडौन

सहायक अभियंता VI

पो०एम०जी०एस०वाइ०एस०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

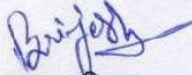
जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.275 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।


अधिशोसी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

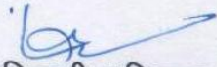
परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में
मस्टखाल से शीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.450 कि०मी०)
हेतु 2.275 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास
विभाग को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने/वचन बद्धता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)



अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/ Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	EP/UK/ROAD/11139/2015 Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	CA: 1394716/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/- NPV: 1922375/- Other Charges 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 3317091/-	Paid	Fund Demand Verified by : 16 Nov 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Nov 2019 Transaction Date : 10 Dec 2019	Demand Letter Generated Challan